न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2020/00264

1. ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह पंचायत समिति साभरलेक जिला जयपुर जरिये उप सरपंच लिखमाराम

–अपीलान्टस

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर ।
2. भूरा पुत्र समरथा कौम दरोगा, निवासी मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर (फौत)
3. श्रवण सिंह वगैरहा कौम दरोगा, निवासी मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर । (फौत)

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व 1956 सपठित धारा 9 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध निर्णय प्रार्थना पत्र संख्या 37/2016 उनवानी सरकार बनाम भूरा पुत्र समरथा दरोगा अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर निर्णय दिनांक 27.03.2018

उपस्थित–

1. श्री बी.एल. वर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 1 की ओर से
3. श्री संजय शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक –05.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय दिनांक 27.03.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के अन्तर्गत ग्राम मण्डाभीमसिंह के आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा, 272 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, 273 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, 275 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 278 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा भूमि के आंवटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया था, अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने निर्णय दिनांक 27.03.2018 से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक प्रकरण में नियम 14(4) के प्रावधान लागू नही होने एवं वर्तमान में दर्ज खातेदारी अधिकारों के इन्द्राज का विलोपन के लिए नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया करने के आदेश पतिर किये गये हैं।
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 27.03.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह जरिये उप सरपंच लिखमाराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित आदेश 26.08.1982 व उसके अन्तर्गत दर्ज व तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 634 दिनांक 06.07.1984 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर का निर्णय दिनांक 27.03.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान

संभागीय आयुक्त जयपुर

भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत ग्राम मण्डाभीमसिंह के आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा, 272 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, 273 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, 275 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 278 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा भूमि के आंवटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया था, जो उन्होंने प्रार्थना पत्र संख्या 37/2016 उनवानी सरकार बनाम भूरा व अन्य में दिनांक 27.03.2018 को निरस्त कर दिया। यह कि निरस्त करते समय अधिनस्थ न्यायालय ने निम्न आधार निर्धारित किये–

1. प्रार्थना पत्र पूरे 34 वर्ष बाद प्रस्तुत किया हैं।
2. समर्पण की कार्यवाही पूर्ण नही थी।
3. जिला कलक्टर द्वारा प्रशनगत भूमि को चारागाह घोषित करने की दरखास्त खारिज कर दी गई।
4. उपखण्ड अधिकारी ने पूर्व खातेदारों के नाम पुनः खातेदारी दर्ज करने से भूमि राजकीय नही मानी जा सकती।
5. दिनांक 28/05/1976 के आवंटन आदेश के अन्तर्गत यह भूमि आवंटन की तारीफ में नही आती।
6. खसरा गिरदावरी में काश्त का दर्ज नही होना सीधा आशय एकमात्र यह नही हो सकता है कि काश्तकार का कब्जा नही हैं।
7. उपसहांर भूमि में कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के स्थान पर आर.टी.ए की धारा 63 के अन्तर्गत कार्यवाही पर नियमानुसार कार्यवाही करावें ।

यह कि अपीलान्ट का उपरोक्त आदेश के निर्णय बिन्दूओं को निम्न प्रकार चुनौती दे रहा हैः–

1. प्रार्थना पत्र पूरे 34 वर्ष बाद प्रस्तुत किया हैं।

   जवाब– यह कि न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष के जवाब में निवेदन है कि गलत कार्यवाही को चुनौती दिये जाने की कोई सीमा निर्धारित नही हैं। यह प्रकरण राजकीय हानि एवं जनहित से जुडा है जिसके लिये कानूनी प्रावधानो की अनदेखी करते हुये अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है जिसको अपास्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं।

2. समर्पण की कार्यवाही पूर्ण नही थी ।

   जवाब– अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर का यह निष्कर्ष निराधार है। आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा, 272 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, 273 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, 275 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 278 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण संख्या 57 दिनांक 16.09.1962 को पंचायत की मीटिंग में पेश हाने के कारण धारा 55 के तहत खातेदार ने उक्त जमीन को छुटकारा पेश कर दिया हैं। अतः आराजी खसरा नम्बर 271, 272, 273, 275, 278 भूरा वल्द समरथा से खारिज की जाकर सिवायचक दर्ज व अमल कागजता पटवार में दर्ज की जाती हैं। उक्त नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 के मुताबिक हुक्म श्रीमान् तहसीलदार साहब मु.फुलेरा दिनांक 06/09/1962 एवं क्रमांक 493/ आरए एस.डी.ओ. सांभर दिनांक 03/05/1962 के अन्तर्गत नामान्तकरण पेश हुआ। भूमि सिवाय चक अंकित हो गई यानि भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई।

   RRD 1966 Har Narain Vs. Board of Revenue for Raj., D.B. Civil Writ Petition No- 357/63, decided on 30/11/1965 (a) में निम्न तजबीज दी हुई हैः– Raj. Tenancy Act, Sec- 55 (before amendment) – Two modes of surrender of holdings provided & By giving up possession of holding- Surrender may also be in writing and attested by Sarpanch or Village Headman or Chairman of Municipal Board& Board of Revenue held] was ot in error in accepting evidence of surrender even though it was not in writing and attested., page 31 to 34 (Para 4). इसी तरह RRD 1968 Yasin

संभागीय आयुक्त
जयपुर

Shah Vs. Munir Shah] Appeal NO- 7/Jhalawar/1963, decided on 3 July 1967 में भी निम्न तजबीज दी गई है :-(b) Raj- Tenancy Act, Sec- 55- Surrender-Scope and application of Legislative intent&Originally two modes of either by giving up possession or by execution of surrender deed in writing duly attested by Sarpanch etc- provided Provision mandatory and not only prescribed mode of attestion&After amendment only mode by delivery of possession accompanied by document in writing, duly attested by Tehsildar etc. imperative for valid surrender, page 37 to 41,(Paras 8 to 11). उपरोक्त तजबीज को सही बताते हुए RRD 1983 ist 539 to 548 Khuma Vs. Mandir Parasnathji -(172), Appeal No- 112 / Pali of 75, decided on 10th May,1983 esa ;s vfHkfuèkkZfjr fd;k gS & (f) Raj- Tenancy Act-Sec- 55 - Surrender-Attestation-Delivery of possession by deft. held enough to constitute surrender& Evidence about surrender, accepted by Board even though so called surrender] not evidenced by writing, duly attested in manner laid down in Sec- 55 as held in 1966 RRD 31 (H.C.)(Para 21) ,oa blh rtcht dks RRD 1979 ist 401 ls 405 ls retrate किया गया है जो निम्न प्रकार है :– Phool Singh V/s Moti Lal, Appeal Nos-344 - 345 / Alwar of 75, decided on 2nd April, 1979 esa ;g rtcht nh gS (c) Raj- Tenancy Act, Sec- 55 Surrender -Tobe made in favour of land holder and not of any person Surrender deed necessarily to be attested by Teh-Surrender rightly held to be invalid in abence of both pre- requisites. (Para 6)

उपरोक्त नजीरों एवं नामान्तकरण जो सिवायचक भरा गया एवं आदेश अंकित किये गये एवं सरपंच ग्राम पंचायत से तस्दीक किया गया हैं, (1) कब्जा छोडना एवं लिखित में सरेण्डर करना बखूबी प्रमाणित है। अतिरिक्त जिलाधीश चतुर्थ ने जो व्यवस्था दी है वो कानून सम्मत न होकर मनमानी एवं तथ्यों एवं दस्तावेजी रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।
जिला कलक्टर द्वारा प्रशनगत भूमि को चारागाह घोषित करने की दरखास्त खारिज कर दी गई।

जवाब– तथाकथित जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 02/11/1966 राज्य सरकार को हानि पहुचाने एवं राज्य सरकार को पक्ष को बिना सुनवाई किये निर्णय पारित करने के कारण उक्त आदेश क्षेत्राधिकार विहिन होने से इसका संज्ञान अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ को नही लेना चाहिए था। अतः आदेश अधीनस्थ न्यायालय गैर कानूनी हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी ने पूर्व खातेदारों के नाम पुनः खातेदारी दर्ज करने से भूमि राजकीय नही मानी जा सकती ।
4. दिनांक 28/05/1976 के आवंटन आदेश के अन्तर्गत यह भूमि आवंटन की तारीफ में नही आती ।

जवाब– इस मामले में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा दी गई तजबीज सही नही हैं। यह भूमि न केवल आदेश पगरना अधिकारी सांभरलेक क्रमांक विविध (82) 779 दिनांक 26/08/1982 के अन्तर्गत आवंटन कमेटी दिनांक 28/05/1976 के अनुशंषा पर दिया गया आदेश नही बताया गया बल्कि पश्चातवर्ती उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक ने भी ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह की आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13/06/1984 में भी उपरोक्त भूमि में दिनांक 26/08/1982 को दिये गये आदेश को आवंटन आदेश ही बताया गया है। अतः निष्कर्ष अतिरिक्त जिला कलक्टर आवंटन सलाहकार समिति के मुखिया के आदेश दिनांक 26/08/1982 एवं दिनांक 13/06/1984 के विपरीत बनाने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नही हैं। यह अपील करने का दायित्व ग्राम पंचायत का नही हैं। जब जिला कलक्टर स्वयं ही क्षेत्राधिकार विहीन आदेश दे रहे थे तो उनके

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिनस्थ कर्मचारी अगर नियम पूर्वक कार्यवाही नही करते है तो उसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की नही है इसके लिए राजस्व प्रशासन स्वयं जिम्मेदार हैं।

5. वन विकास के संबंध में।

जवाब–यह कि उपरोक्त भूमियां ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह के मुख्यालय मण्डाभीमसिंह से जब पूरब की ओर टीबा वाला गांव जाते है तो जयपुर विद्युत वितरण निगम की ग्रिड स्टेशन निर्मित है उसके समीप ही मैनरोड के बांयी और दांयी ओर स्थित है। बांयी ओर सघन वृक्षारोपण भी ाम, नीम, खेजडी, बम्बूल व खैरी इत्यादि के लगाये हुये हैं एवं डोला लगाया हुआ है एवं दायी ओर नर्सरी के खड्डे खोद हुए है एवं डोला लगाया हुआ है। वहां कभी भी यह भूमि काश्त के उपयोग में नही आयी। यह प्रकरण चारागाह घो ित कराने का नहीं है बल्कि नियमों के विपरीत 20 साल बाद राजकीय भूमि को राजकीय हितों को दरकिनार करके बिना कब्जे काश्त के भूमि कृ । भूमि आंवटन नियम 1970 के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही करके भूमि दिये जाने का है। जबकि मौके पर वन विभाग द्वारा खड्डे खोदकर डोल इत्यादि का निर्माण किया गया है एवं वृक्षारोपण कार्यवाही की गई है। जिस पर नि पक्ष एवं कानून सम्मत कार्यवाही न करके अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है लिहाजा उन द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

6. खसरा गिरदावरी में काश्त का दर्ज नही होना सीधा आशय एकमात्र यह नही हो सकता है कि काश्तकार का कब्जा नही हैं।

जवाब– यह निष्कर्ष की गिरदावरी कब्जे का आधार नही हो सकती। ये निष्कर्ष राजस्व विधान के विपरीत हैं। काश्तकार के लिए कब्जे का सबूत गिरदावरी एवं लगान की रसीद ही होती हैं जिसको महत्व नही दिया जाना अतिरिक्त जिला कलक्टर की नादानी के अलावा कुछ नही हैं। यह नसीहत की 14 (4) के बजाय धारा 63 में की जानी चाहिए थी आम जनता ने उपखण्ड सांभरलेक द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/08/1982 एवं पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 13/06/1984 को सदभावी आदेश मानते हुये कार्यवाही की गई हैं। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर चतर्थ ने जो प्रश्नचिन्ह लगाये वो न्यायोचित नहीं है।

अतिरिक्त कथन :– यह आश्चर्य की बात है अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अध्ययन किये बिना ही आदेश पारित कर दिये। प्रश्नगत भूमि के समर्पण के बाबत भूरा वल्द समरथा कौम दरोगा के जायज कामय मुकाम वारीसान ने इस भूमि को समर्पित ही मानी जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था फिर भी उस पर गौर किये बिना अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ ने आम जनता की शिकायत को खारिज कर दिया। इससे सहज ही पता लगता है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ ने जनहित के इस प्रकरण में बिना सोचे समझे भूरा दरोगा के वर्तमान जायज मुकाम वारीसान के द्वारा इस भूमि को समर्पित माने जाने के बावजूद प्रार्थना पत्र खारिज करके निजी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आदेश पारित किया है जो किसी भी तरह न्यायोचित नहीं है।

7. उपसंहार भूमि में कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के स्थान पर आर.टी.ए की धारा 63 के अन्तर्गत कार्यवाही पर नियमानुसार कार्यवाही करावें। निर्देश के स्थान पर अधिनस्थ न्यायालय को स्वयं को इस मामले में नामान्ताकरण संख्या 634 दिनांक 06.07.1984 का एल. आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रस्तुत करना चाहिये था।

अतः यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि जिस पर कभी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का कब्जा नहीं रहा आज भी मौके पर नर्सरी के अन्तर्गत खैरी बंबूल, शीशम आदि के पेड लगे हुए है एवं मौके पर जो शेष भूमि है उस पर पेड लगाने हेतु समुचित प्रबन्ध किये जाकर खड्डे किये जाकर डोल लगा हुआ है। खसरा गिरदावरी में कोई कब्जा काश्त न पहले था और न आज है। वन विभाग द्वारा लगाये गये पडे खडे हैं। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 27.03.2018 प्रार्थना पत्र संख्या 37/2016 उनवानी सरकार बनाम भूरा व अन्य निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा दिया गया आदेश 03.05.1962 एवं नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 16.09.1962 को बहाल रखते हुए पश्चातवर्ती आदेश उपखण्ड अधिकारी दिनांक 26.08.1982 एवं 13.06.1984 जो आंवटन सलाहकार समिति के मुखिया उपखण्ड अधिकारी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में पारित किये गये हैं को सही मानते हुए एवं कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) में इस प्रकरण को मानते हुए आवंटन निरस्त किया जावे एवं नामान्तरकरण संख्या 634 दिनांक 06.07.1984 को भी निरस्त किया जावे।

6. वकील अप्रार्थी संख्या 5 ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के लिए निर्धारित कार्यवाही पूर्ण नहीं है। भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है। इस मामले में आसामी के द्वारा अपने कब्जा छोडने के लेखपत्र का हवाला नहीं दिया गया है। जिससे यह स्प ट है आसामी द्वारा ऐसा कोई लेखपत्र लिखा गया गया था या नही नहीं एवं तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी का आदेश किस सन्दर्भ मे दिया गया है। यह भी कि धारा 56 के अनुसार कोई आसामी समर्पणकर्ता समर्पण करने से पहले भूमिधारी को धारा 55 के अन्तर्गत कोई भी समर्पण किये जाने से पहले, इस प्रकार समर्पण करने वाला आसामी अपने इस आशय का कि वह समर्पण करेगा, एक रजिस्टर्ड नोटिस अपने भूमिधारी को एक माह से कम से कम 30 दिन पहले देगा। इस प्रकरण में समर्पण करने से पहले इस तरह का कोई नोटिस जारी किया गया है अथवा नहीं बाबत पत्रावली पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि धारा 55 के तहत के उद्देश्य के लिए धारा 56 के तहत निर्धारित आवश्यक प्रक्रियात्मक विधिक कार्यवाही की पूर्ति की गई है या नहीं। इस प्रार्थना पत्र मे वर्णित किये गये अनुसार इस भूमि के समर्पण का कब्जा लिया जाना अनिवार्य रहा है। इस प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें तथाकथित समर्पित भूमि का तहसीलदार द्वारा कब्जा लिया गया है अथवा नहीं। अभिभा क अप्रार्थीगण के द्वारा इस प्रकरण में न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के दो पत्र दिनांक 15.06.1966 तथा 02.11.1966 की प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार अप्रार्थीगण के द्वारा जिलाधीश जयपुर के समक्ष एक मु.नं. ता रजु दिनांक 15.06.1966 प्रस्तुत किया जिसमे जिला कलक्टर के समक्ष ग्रामवासी उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि वे अपनी भूमि को चारागाह के लिए देने के लिए देने को तैयार नही है। लेकिन उन्हें यदि दूसरी जमीन दे दी जावे तो वे इस जमीन को देने के लिए तैयार है। कलक्टर जयपुर के द्वारा इस स्थिति में असल कागजात वापस तहसील को लिखा गया कि यदि गाव वालो को इस जमीन की आवश्यकता है तो इन ग्रामवासियों को दूसरी भूमि का अलाट करने का प्रस्ताव पास करके फिर पत्रावली मारफत एस.डी.ओ. के माध्यम से उचित आदेश भेजने का आदेश दिया गया। साथ ही एक अन्य आदेश दिनांक 02.11.1966 के द्वारा तहसीलदार को पत्र प्रे ित कर सूचित किया गया कि ग्राम मण्डाभीमसिंह पुरा मे गोचर भूमि छुडाने के मामले में चारागाह घो ित करने की दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया गया है। इस प्रकार इस प्रकरण मे ना तो जिला कलक्टर जयपुर के द्वारा चारागाह के लिए भूमि का समर्पण स्वीकार नहीं किया गया तथा ना ही उक्त भूमि को चारागाह ही घो ित किया गया था। इसके विपरीत ग्रामवासियों के अनुरोध पर उन्हें अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने के बाद उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से नया प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये गये थे। जिला कलक्टर के इन निर्देशों की पालना की गई थी या नहीं। इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। साथ ही चारागाह के लिए तथाकथित रूप से सिवायचक भूमि को चारागाह घोषित किये जाने की प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि कभी भी चारागाह नहीं रही है। प्रार्थी पक्षकार के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रति–दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकरण में विवादित आराजी आराजी वर्तमान में भूरा वल्द समरथा कौम दरोगा के नाम से खातेदारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 पारित किया है जो उचित व विधिसम्मत है। अतः यह अपील अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र संख्या 37/2016 उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल बनाम भूरा पुत्र समरथा दरोगा (फौत) न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर का निर्णय दिनांक 27.03.2018 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारो के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाहिर होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर नम्बर 271 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा, 272 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, 273 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, 275 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 278 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा भूमि भू प्रबन्ध खतौनी सम्वत 2011–2019 के खाता सख्या 117 के अनुसार भूरा वल्द समरथा कौम दरोगा सा. देह के नाम खातेदारी दर्ज थी। उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 16.09.1962 द्वारा खातेदारी से सिवाय चक दर्ज हुई है। उक्त भूमि न्यायालय परगना अधिकारी सांभरलेक के आदेश दिनांक क्रमांकःविविध(82) 779 दिनांक 26.08.1982 के द्वारा आवंटन कमेटी दिनांक 28.05.1975 के निर्णय अनुसार पुनः खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही हेतु आदेशित करने पर नामान्तरण संख्या 634 दिनांक 06.07.1984 द्वारा सिवायचक से खातेदारी भूरा वल्द समरथा कौम दरोगा के नाम खातेदारी दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2039 से 2070 के अनुसार उक्त भूमि बजंड दर्शाई गई है। खातेदार का मौके पर कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा ना ही मौजूदा समय में कब्जा काशत है। उक्त भूमि पर मौके पर खातेदार का कब्जा काश्त नहीं रहने एवं भूमि अन्य कार्य में उपयोग में आने के कारण आंवटित भूमि का प्रकरण खातेदार आंवटित के विरूद्ध आंवटन नियम 14(4) के तहत नियमानुसार प्रकरण बनता है। जिससे जाहिर है कि एक बार भूमि के समर्पण किये जाने, भूमि का नामान्तरकरण सिवायचक अंकित हो जाने के 20 वर्श बाद, 28.05.1975 को आंवटन सलाहकार समिति का सन्दर्भ अंकित करते हुए उपजिलाधीश का पत्र दिनांक 26.08.1982 बिना किसी प्रस्ताव एवं बिना किसी अधिकार बिना किसी जांच के पारित किया गया है। इस तरह का आदेश जारी करने का अधिकार काश्तकारी अधिनियम के अनुसार आंवटन कमेटी या उपजिलाधीश को नहीं है। भूमि गिदावरी वर्ष 2039 से 2070 तक बंजर दर्शाई गई है जिससे इस भूमि पर किसी का कब्जा काश्त नहीं होना स्पष्ट है। भूरा वल्द समरथा कौम दरोगा सा. देह के बाबत कोई निर्णय नहीं हुआ था, के लिए उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी दिनांक 26.08.1982 का ओदश Ab-initio void and illegal है। भूरा वल्द समरथा कौम दरोगा सा. देह के समर्पण किये जाने के बाद सिवायचक रहेगी। दिनांक 16.09.1962 के बाद उक्त भूमि पर खातेदारान द्वारा कोई काश्त नहीं की गई है। यह भूमि स्वेच्छा से सरेण्डर की जाकर चारागाह उपयोग के लिए छोडी गई थी। भूमि पर खेती नहीं होने तथा सार्वजनिक उपयोग हेतु पशुधन की चराई के उपयोग में यह भूमि चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में बंजड अंकित है। राज. का तकारी अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत सरेण्डर की गई भूमि सिवायचक अंकित हो जाने के बाद पूर्व खातेदार को भूमि का पुनः आंवटन नहीं किया जा सकता है। 1970 के नियमों के नियम 11 के तहत अलाटमेन्ट हेतु पात्र व्यक्तियों को ही आंवटन किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी ने कृ ा भूमि आंवटन नियम 1970 के उपनियम 13 के अन्तर्गत आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के बिना की गई उपरोक्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार विहीन है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर आंवटन पात्र व्यक्तियों को की जानी चाहिए थी। सलाहकार समिति की राय के बिना की गई कार्यवाही क्षेत्राधिकारीविहिन होने से निरस्त योग्य है। बिना कब्जे काश्त की विवादित भूमि के लिए वापिस किये जाने की कार्यवाही के लिए उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 26.08.1982 without एवं jurisdiction illegal होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 पारित किया है जो विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक का आदेश क्रमांक विविध(82) 779 दिनांक 26.08.1982 से गत खातेदारान को पुनः आंवटन एवं प्रार्थना पत्र संख्या 37/2016 उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार बनाम भूरा पुत्र समरथा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2018 निरस्त किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित आदेश 26.08.1982 एवं 13.06.1984 उसके अन्तर्गत दर्ज व तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 634 दिनांक 06.07.1984 को निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 06.07.1984 के पश्चात हुये राजस्व अभिलेख के इन्द्राजात को भी अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, तहसील

संभागीय आयुक्त
जयपुर

किशनगढ रेनवाल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि वापस राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किया जावे।

(डॉ0 आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।